

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 02, मंगलवार, श॥के 1947- दिसम्बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 26, 2025

संख्या:41/भू.अ./ज.स./2025/1651-1655:-चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai District Jaipur कार्य के अन्तर्गत तहसील चाकसू में भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जयपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चाकसू होंगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जयपुर के Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai district Jaipur कार्य हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव।

क्र.सं.	कार्य का नाम	जिले का नाम	तहसील	उपखण्ड अधिकारी/ भूमि अवाप्त अधिकारी
1.	Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai district Jaipur	जयपुर	चाकसू	उपखंड अधिकारी चाकसू

फार्म-2

(देखे नियम 5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खंड जयपुर
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	जल संसाधन विभाग द्वारा Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai district Jaipur कार्य के अन्तर्गत राजस्व ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू की कुल 0-64 हैक्ट भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईया भी दे	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अंतर्गत लागू नहीं हैं। नोट धारा 4 से पहले धारा-2 (1) को लागू नहीं किया जा सकता है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथनकि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खंड जयपुर में उपलब्ध

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।